सम्पादक के नाम

अनिता यादव इस खेल की पुरानी खिलाड़ी है

नगर निगम की नई कमिश्नर श्रीमति अनिता यादव का डंडा एक दम से अवैध निर्माणों पर घूम गया है। पहले भी अनिता यादव इसी नगर निगम में संयुक्त आयुक्त के पद पर रह चुकी है और अवैध निर्माण नाम की दुधारू गाय से भली-भाँति परिचित हैं। इस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी वाकिफ़ हैं। वैसे तो आयुक्त से ले कर सभी निगम कर्मचारी इन्हीं निर्माणों को लेकर अवैध वसूली करते हैं और नगर निगम पार्षदों द्वारा चुनावों में करोड़ों रुपये लगाने के पीछे भी समाज सेवा नहीं बल्कि इस वसूली का आकर्षण है। लगभग सभी पार्षद इस मसले में अधिकारियों की दलाली करते हैं और दबंग पार्षद तो इन में अपनी हिस्सेदारियां रख कर करोड़ों कमाते हैं।

वैसे विदित हो कि सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके कॉलोनी काट देना अपनी दुकानों के आगे सरकारी सड़क पर रेहड़ी वालों को जगह दे कर किराया वसूलना, सरकारी फुटपाथ पर कब्ज़ा करना बरामदों के आगे शटर लगा कर दुकान का आकार बढा लेना अवैध नहीं माना जाता। यदि आप अपने प्लॉट पर दो-चार फुट निर्माण बढा लें तो खलासी से ले कर आयुक्त और पार्षद तक जीभ लपलपाते आ जाते हैं। इस वसूली में कई पत्रकार भी पीछे नहीं हैं।

विधायक सीमा त्रिखा के मकान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक बाबा जी ने शमशान घाट के सामने मंदिर के नाम पर लगभग आधा एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। इसमें मंदिर 50 गज पर, और बाकी पर चारदीवारी से कब्ज़ा जमा रखा है। सीमा त्रिखा के ड्रीम प्राजेक्ट पेरीफेरी रोड भी इस मंदिर पर आ कर दम तोड़ गई है। यहां मंदिर पर सड़क को रोक दिया गया है किसी में दम नहीं है कि इस मंदिर का नाजायज़ कब्ज़ा हटा कर सड़क को आगे बढाया जाये। इसके बजाये इस कब्जे वाली जगह की दूसरी तरफ़ से एक और सड़क निकाल दी गई है। वैसे भी हमारे देश में धार्मिक स्थलों को हटाने से सभी की नानी मरती है। ये तो हिन्दुत्व के एजेंडे वाली सरकार है। फ़रीदाबाद के 4-5 चौक पर कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बन्द करके आगे की जगह फूल वालों को किराये पर दे रखी है जो सड़क तक आ गई है। शादियों के मौसम में यहां पर कोई सड़क पर गाड़ी सजवाने के लिये खड़ी कर देता है तो अक्सर यातायात जाम हो जाता है वैसे भी हर दुकानदार ने अपनी दुकान आगे तक बढा रखी है जिससे निगम कर्मचारियों की मासिक आय बंधी हुई है। क्योंकि सभी यहां से आंखे बन्द कर के आगे बढ़ जाते हैं। यही हाल एक नम्बर और 5 नम्बर के बाजारों का है। लोग़ों ने अपना सामान बाहर सड़कों पर रखा हुआ है और आम जनता तो क्या आग लग जाय तो फ़ायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं गुज़र सकती।

खैर अभी तो चर्चा एस.डी.ओ ओपी मोर को निलम्बित करने और संयुक्त आयुक्त को कारण बताओ नोटिस देने की जोरों पर है। सुना है मैडम अनिता यादव के आदेश पर एक प्लॉट पर तोड़-फ़ोड़ नहीं की गई। सूत्रों का कहना है कि उसी प्लॉट पर से निर्माण हेतु बड़ी राशि पूर्व आयुक्त मोहमद शाईन के नाम पर ली जा चुकी है तो फ़िर किस मुंह से तोड़-फ़ोड़ की जाये। इस धन राशि का बटवारा किस अनुपात में हुआ है ये तो लेने और बांटने वाले जाने और फ़िर पुरानी कहावत है ''खाये मुंह और शर्माए आंख''। पहले भी लिखा जा चुका है कि मैडम अनिता यादव सारे खेल को अच्छे से जानती हैं और जल्द रिटायर भी होने वाली हैं। हो सकता है बुढापा संवारने के लिये ही यह पोस्टिंग मुख्यमंत्री ने उन्हें दी हो।

- राजेन्द्र सिंह

लड़की को पकड़ना

टाटा स्काई क्लासिक पर चल रही पुरानी हिट फिल्म "मधुमती"। जंगल का दृश्य। आदिवासी लड़की मधु (वैजयंतीमाला) जंगल में बेतहाशा राजा साहब (प्राण) से ड़रकर भागी चली जा रही है।

यह दृश्य देख रही छोटी बच्ची (मुझसे)-- "ये आदमी लड़की को पकड़ क्यों रहा है?" मैं एकदम निरुत्तर ! सच भला लड़की भी कोई जबर्दस्ती पकड़ने की चीज है, यदि वह अपराधी नहीं या उसने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वह लड़की है, उसे राजा साहब पकड़ना चाहता है?

मैं क्या जवाब उस छोटी- सी जान को दूँ, यह सोच ही रही थी कि नायिका मधु भागते-भागते सुरक्षित अपने घर पहुंच गई, जहाँ उसके पिता थे।

छोटी सी बच्ची शायद मेरे जवाब दिए जाने में देरी को देखकर, मेरे जवाब की प्रत्याशा भुला, नायिका के सुरक्षित घर पहुंचने से प्रभावित हुई और अगला वाक्य कहा- "अब ये कभी अकेले बाहर नहीं जाएगी।"

मैं एक भाव से निकली नहीं थी कि छोटी बच्ची के इस दूसरे वाक्य ने मुझे झकझोर दिया। सामाजिक कंडीशनिंग ऐसे होती है लड़कियों की, उसे अलग से सिखाना नहीं पड़ता। वह प्रत्येक सामाजिक कंटेंट में पिरोई गई होती है।

"मधुमती" के सिर्फ गाने या यह फिल्म ही हिट नहीं थी, इसमें अंतर्निहित विचार भी "हिट" थे। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के !!!

- सुधा सिंह

गंगा मुक्ति आंदोलन की ऐतिहासिकता

नीरज कुमार

बिहार के दो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रकाश और रामशरण जी की अगुआई में 22 फरवरी 1982 को संगठित रूप से कहलगांव, भागलपुर, बिहार की धरती से गंगा मुक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है. आंदोलन का मुख्य मुद्दा था, 'मछली मारने का हक मछुआरों को मिलना' और '80 किलो मीटर तक गंगा, पर दो जमींदारों के कब्जों से गंगा को मुक्त कराना'. महाशय महेश घोष और मुसर्रफ हुसैन मानी ये दो जमींदार थे. जिसके अन्दर सुल्तानगंज से लेकर बरारी फिर बरारी से पीरपैती तक की जमींदारी थी. तीसरा बढ़ा मुद्दा जो बाद में आंदोलन के साथ जुड़ा, वो था नदी पार करने वाले से जबरन पैसा वसूलने का जो मामला. ये हाल-फिलहाल तक बिहार के विभिन्न भागों में देखने को मिलता रहा है.

इन जमींदारों के पास ये जमींदारी, देवी-देवता के नाम पर सेवेत (अनुयायी) अधिकार के रूप में, मुगलकाल से मिली हुई थी. जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होने के 32 वर्ष बाद भी इस जमींदारी का कायम रहना शोषण का प्रतीक ही था. स्थानीय स्तर पर संघर्ष करने वाले कुछ लोगों द्वारा इस लड़ाई को जब कोर्ट में ले जाया गया तो कोर्ट में जमींदारों का कहना था कि हमलोग भैरवनाथ आदि आदि देवी-देवता के सेवेत (अनुयायी) हैं. ये हक हम लोगों को, मुगलकाल से ही, देख-रेख में दिया गया है. हम लोग तब से इसकी देख-रेख करते आ रहे हैं और इसमें जो भी मछली आदि निकलती है, उस पर हमलोगों का अधिकार है. इसलिए हमलोग इसकी कमाई खाते हैं. जमींदार अपने पक्ष में यह तर्क दिया करते थे कि पानी पर मेरा अधिकार है. ये स्टेट नहीं है, परिसंपत्ति नहीं है. महाशय डेयहरी, नाथनगर, भागलपुर, बिहार में कई तरह के देवी-देवता हैं, जिसके नाम से सेवेत कायम था. उसका अपना नियम था, जो सामंतवाद की नीति की तरह होता था. ये लोग गंगा को पेटी कांटेक्टर के पास बेच देते थे. पेटी कांटेक्टर क्षेत्र के आधार पर बोलवाला लोगों के माध्यम से उस इलाके में बढ़ी रकम वसूलते थे. पेटी कांटेक्टर उस क्षेत्र के दबंग लोगों के माध्यम से नाव के साइज के हिसाब से टैक्स वसूल किया करते थे. जमींदारों तक तो बड़ी रकम पहुँचती भी नहीं थी. यानी हर जगह लठैत थे. बड़े लठैत अपना कुछ हिस्सा लेकर छोटे-छोटे लठैतों के बीच वसूली के लिए छोटा-छोटा इलाका दे दिया करते थे. ये लोग बड़ी रकम मछुआरों से वसूलते थे. आंदोलन की एक वजह तो यह थी.

एक खास जाति, वर्ग समूह के लोग सदियों से गंगा पर ही अपना जीवन यापन किया करते थे. बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होने के बाद भी गंगा नदी पर 80 किमी तक दो व्यक्ति की जमीनदारी कायम रहना कानूनी रूप से गुलामी का प्रतीक था. जिसे कानूनी रूप से पानीदारी के नाम से जाना जाता है. कहलगांव के स्थानीय मछुआरों ने इस सवाल को उठाया जिसमें कई संगठन के लोग थे. जब उन लोगों को सफलता नहीं मिली तब वे लोग आंदोलन से वापस भी हो गए थे. मामला हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट तक गया. हाईकोर्ट में निषादसंघ केस हार चुके थे. लेकिन छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की स्थापना के तुरंत बाद छात्र- युवा संघर्ष वाहिनी ने बोधगया में मठ के खिलाफ भूमि मुक्ति आंदोलन शुरू किया था. उसकी प्रेरणा से भागलपुर के छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी के साथियों ने पहल करके कहलगांव के साथियों को बोधगया मठ के खिलाफ संघर्ष में शामिल किया. भागलपुर के छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी के साथी कार्यकर्ताओं ने विचार किया कि बोधगया भूमि आंदोलन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर, वहाँ के कामों की तर्ज पर भागलपुर में गंगा पर पानीदारी-जमींदारी को खत्म करने के लिए आंदोलन करना चाहिए. फिर रामशरण जी की अगुआई और अनिल प्रकाश जी के नेतृत्व में छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी से निकले बैनर 'गंगा मुक्ति आंदोलन' के तले लड़ाई की शुरुआत हुई. यहाँ छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी की भूमिका एक उत्प्रेरक की रूप में देखी जा सकती है. बोधगया का आन्दोलन एक बड़ा आंदोलन था. पचमोनिया जैसी छोटी जगह पर भूमि के सवाल पर चल रहे आंदोलन के साथी अनिल प्रकाश, जो छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी का नेतृत्व कर रहे थे, ने निर्णय किया कि जब छोटे से गाँव में आंदोलन हो सकता है तो कहलगांव में भी कुछ किया जाय.

भग्गू सिंह और रत्नेश सिंह नाम के दो परिवार के लोग गंगा पार करने वालों से जबरन पैसा वसूला करते थे. नाव से पार होने वाला जो व्यक्ति पैसा देने से इनकार करता था उसे घर में बंद कर दिया जाता था और कुत्ते से कटवाया जाता था. उसके खिलाफ लड़ाई शुरू हुई. साथ ही दियारे में कुछ बेनामी जमीन थी. लगभग 513 बीघा जमीन शंकरपुर दियारे में हुआ करती थी. उसके खिलाफ लड़ाई शुरू हुई. परिणाम स्वरूप जमीन दलित, अतिपिछड़े भूमिहीनों के बीच बांटी गई. दबंगों-सामंतों के आतंक के खिलाफ 'दियारा जागरण समिति' के बैनर तले शुरू की गई यह लड़ाई भी गंगा मुक्ति आंदोलन संगठन की एक इकाई की लड़ाई थी. इसके तहत वर्ग-संघर्ष को बढ़ावा दिया गया. 'जिसकी लड़ाई उसका नेतृत्व' इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया. इसके कारण मछुआरे व झुग्गी-झोपडी के कम पढ़े लिखे लोगों का नेतृत्व आगे आया. बहुत सारे लोग आज नेतृत्व की भूमिका में है. एक तरह से गंगामुक्ति आंदोलन प्रशिक्षण स्कूल हो गया. सामाजिक कार्यकर्ताओं के उस प्रशिक्षण से निकले हुए लोग आज नेतृत्वकारी भूमिका में अलग-अलग जगहों पर स्थापित हैं. गंगामुक्ति आंदोलन के दरम्यान और कई तरह के प्रयोग भी हुए हैं - जैसे कई बार जब अपराधियों ने मछुआरों के जाल छीन लिये, आंदोलन का असर इस कदर था कि लोग यानी मछुआरे सजग हो गए, जाल व नाव छिनने पर 250-300 की संख्या में मछुआरे अपराधियों का घर घेर लिया करते थे. गाँव के लोग और अपराधी के पिता छीने हुए जाल और नाव वापस करवाते थे. अपराधियों का घर घेरने का काम महिलाओं द्वारा होता था. 'घेरावारी उखाड़ेगे, ऑक्सन नहीं होने देंगे'. ये नारा हुआ करता था. अपराधियों का घर घेरा जाता था तो पहले इसकी सूचना प्रशासन को दे दी जाती थी. तब कहलगांव के आस-पास जितनी भी शराब की भट्ठी थी उन सभी को तोड़ डाला गया और महिलाओं ने अपने शराबी पति के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया. जैसे खाना बंद, चूल्हा बंद, बात-चीत बंद, रिलेशनशिप बंद. इस प्रकार के सत्याग्रह ने भारतीय समाज के जनमानस में बसे पुरुष सत्ता का प्रतिकार कर गंगा मुक्ति आंदोलन को सक्रियता प्रदान की. शांतिमयता का यह प्रयोग गंगा मुक्ति आंदोलन के दरम्यान अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा था. लड़ाई को मुख्य सफलता तब मिली जब 1991 में पानी पर की जमींदारी पूरी तरीके से समाप्त करने की घोषणा हुई. 80 कि.मी. की जमींदारी खत्म हुई. उस समय बिहार- झारखण्ड एक हुआ करता था. बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार बन गई थी. उसने एक कदम आगे जाकर बिहार की तमाम नदियों को कर मुक्त कर दिया. इन्हें कॉपरेटिव अथवा सहकारी समितियों के हाथ में भी नहीं रहने दिया गया. नदी-नाला, कोल-धाव सबको टैक्स फ्री कर दिया गया.

एक तो जमींदारी खत्म हुई, 80 किमी की। दूसरे बिहार की तमाम नदियों की टैक्स फ्री किया गया. ट्रेक्स फ्री हुआ पारम्पारिक मच्छुआरे के लिए। ये दो प्रमुख काम हुए इस आंदोलन से। दियारे में 500 बीघा जमीन बांटी गई.

इस आंदोलन से निकले लोग बिहार-झारखण्ड के विभिन्न हिस्सों में और देश के अन्य हिस्सों में उत्प्रेरक, संगठक और प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं. पत्रकारिता, सांस्कृतिक संरचना, कला-साहित्य और अन्य-अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन से निकले लोग अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं. नमामी-गंगे के नाम पर चलाए जा रहे अभियान का मुख्य लक्ष्य गंगा को प्रदूषण मुक्त करना नहीं है. जैसे एक नारा आया 'जमीन जिसकी जोत उसकी', 'गंगा किसकी, जो उस पर जीवन यापन करता है उसकी'. गंगा पर जीने वाले लोगों की गंगा है. किसान, मछुआरे, जो गंगा का पानी पीते है और कृषि के सिंचाई के उपयोग में लाते हैं. वह नहीं होकर गंगा किसकी हो गई जो गंगा की आरती उतारे, उसकी हो गई. आस्था के नाम पर गंगा को बचायेंगे तो नहीं बचेगा. आस्था और आजीविका दोनों जब-तक नहीं जुड़ेगा तब-तक गंगा मुक्ति सही अर्थों में संभव नहीं है.

गंगा मुक्ति आंदोलन जहाँ अपने परम्परागत रोजगार को बचाने के लिए महत्वपूर्ण हुआ वही पत्तिसत्ता से लड़ने का बढ़ा हथियार भी बना. भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सभ्याताओं के विकास के साथ-साथ पनपने वाली समस्या ने अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह के सांस्कृतियों को जन्म दिया. जिसके परिणाम स्वरूप शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार भी जन्म लिया. उन मान्यताओं को स्थानीय प्रयास से ही समाप्त करना संभव हो पाया है. गंगा मुक्ति आंदोलन उसके उत्कृष्ट उदाहरण में से एक हैं.

ये कैसा गणतंत्र, जहां नागरिक अपने ही सुरक्षा बलों के जवानों से डरते हैं!

तामेश्वर सिन्हा

बस्तर। देश को आजाद हुए 70 साल गुजर चुके हैं और हम 70 वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, मगर आदिवासियों के हालात अब भी चिंताजनक हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी, बिजली, रोजगार, घर जैसी आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें नसीब नहीं हो पाई हैं।

बस्तर संभाग के अन्तर्गत आने वाला बीजापुर जिले का बासागुजा क्षेत्र आज भी डर के साये में जी रहा है। सूबे में 15 सालों बाद सरकार भले बदल गयी है लेकिन आदिवासियों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है। यहां आज भी आदिवासी एक ही कामना करते हैं कि नक्सल उन्मूलन के नाम पर गस्त में आए जवान उनसे मार-पीट न करें। उनके सामानों को न लूट कर ले जाएं। आदिवासी स्कूल की मांग करते हैं, आंगनबाड़ी चाहते हैं। अस्पताल चाहते हैं लेकिन आदिवासियों को मिलता है सिर्फ शोषण अत्याचार और दमन।

बीजापुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर चिन्नागेलूर के रास्ते पेद्दागेलूर के करीब एक मैदान में सैकड़ों ग्रामीण जमा थे। इसमें आसपास के चिन्नगेलूर ,पेदद्दागेलूर ,बुडगीचेरु गांव सहित पामे ? इलाके के धरेली ,मगेलगूडा ,बोतुलनका मेटागुड़ा एंव सुकमा क्षेत्र केचिलगेर ,नीलेम ,जुनामुण्डा ,मोरपल्ली ,चिमलपेंटा ,पूर्वत ,पत्तेवाला सहित आसपास के ग्रामीण भी अपने राशन-पानी के साथ शामिल थे।

ग्रामीणों ने एक-एक कर अपनी समस्याओं का पिटारा खोलना शुरू किया। ग्रामीण कहते हैं आज भी गांवों में अंधेरा है। बिजली नहीं पहुंची है। कई परिवारों के पास राशनकार्ड तक नहीं है। आधार कार्ड तो दूर की बात है। जनपद की कई योजनाओं से वो वंचित हैं। पामेड़ क्षेत्र के धरेली पंचायत इन ग्रामीणों ने बताया कि उनके पंचायत में छह गांव आते हैं। जिसमें तकरीबन 500 परिवार रहते हैं। उनके गांव का सरपंच देवा चेरला में ही रहता है। और सचिव तो गांव में कभी झांकना भी जरूरी नहीं समझता। नतीजा ये है कि गांव को सरकार की कोई सुविधा मयस्सर ही नहीं है। राशन कार्ड नहीं होने से पामेड़ में संचालित सोसाइटी से राशन नहीं मिलता। मजबूरन चावल चेरला व पामेड़ से खरीद कर खाना पड़ रहा है, धान की खेती करते हैं। लेकिन सरकार द्वारा नहीं खरीदने से मजबूरन तेलंगाना के कोचियों को धान दस रुपये किलो बेचना पड़ता है। जिसके चलते आज तक उनको शासन के धान के बोनस का लाभ नहीं मिल पाया।

ग्रामीणों की समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या सुरक्षा बलों के द्वारा किए गए जुल्मोसितम की दास्तान है । उन लोगों ने बताया कि जवान गस्त के दौरान गांव में नआते हैं और ग्रामीणों से मारपीट करते हैं। महिलाओं को छेड़ते हैं। घर मे रखे पैसों को लूट लेते हैं। साथ ही मुर्गे-बकरों को भी लेकर चल देते हैं। कई बार जवान लड़कों को नक्सली एवं वारंटी बता कर जबरन अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और कभी एनकाउंटर कर देते हैं। या फिर कभी उन्हें जेल भेज देते हैं। इन सब के चलते गांव के लोग हमेशा भय के वातावरण में जीवन जीते हैं।

अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का इस क्षेत्र में आना एक सपना है। यहां तक कि गांव के सरपंच सचिव भी नहीं आते। गांव सरपंच-सचिव के इन पंचायत क्षेत्रों में नहीं आने से इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, उज्जवला गैस समेत आदि योजनाएं महज कागजातों और दफ्तरों तक सीमित होकर रह गयी हैं। ग्रामीणों की चाह गांवों में आंगनबाड़ी, आश्रम, स्कूल, अस्पताल बने लेकिन जब इन गांवों में सड़क निर्माण को लेकर कहा गया तो उन्होंने कहा कि हमको स्कूल, आंगनबाड़ी , अस्पताल , सोसायटी सब चाहिए लेकिन सड़क नहीं चाहिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपको ये सब चाहिए तो बिना सड़क के इन भवनों को बनाने के लिए सामग्री कैसे आएगी।

अगर ये सुविधाएं चाहिए तो सड़क निर्माण करना ही पड़ेगा। आप लोग सड़क का विरोध क्यों कर रहे हैं। इससे आपको फायदा है आवागमन सुलभ हो जाएगा। इस पर ग्रामीणों ने कहा कि अगर गांवों तक पंहुचने के लिए सड़क बन गई तो पुलिस की गाड़ियां आएंगी और हमको जबरन पकड़ कर जेल में डाल देंगी। आज जब सड़क नहीं है तो भी गस्त और सर्चिंग के नाम से पुलिस और सुरक्षाबल के जवान आते हैं। ग्रामीणों को जबरन पकड़ कर ले जाते हैं। अगर सड़क निर्माण हो गया तो सब जेल में ही दिखेंगे।

इस दौरान कई गांवों के ग्रामीणों ने बताया कि वो अपनी जमीन पर घर बनाकर कई पीढ़ियों से काबिज हैं और खेती करते हैं। आज भी उनके पास उनकी जमीन के कोई कागज नहीं हैं। आज तक उनको अपनी झोपड़ी बनी जमीन एंव खेत का पट्टा नहीं मिला। जिसके चलते उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। अपने खेतों में होने वाले धान को बिचौलियों को सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने पत्रकारों को बताया कि हम कब वारंटी बन गए। हमें नहीं मालूम। क्योंकि अक्सर गांवों में सभी ग्रामीणों के नाम लगभग एक जैसे होते हैं। जिसके चलते पुलिस गांव आती है और नाम पूछकर वारंटी बताकर ले जाती है। अब ग्रामीणों ने पुलिस से आग्रह किया है कि हमारे गांवों के वारंटियों की पूरी सूची हमें सरपंच के माध्यम से उपलब्ध करवाए ताकि हमको जानकारी हो और हम कोर्ट में जाकर स्वयं को निर्दोष साबित कर सकें। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम अपने रोजमर्रा का सामान लेने बाजार जाते हैं और पुलिस हमें जबरन वारंटी बताकर पकड़ लेती है।

छत्तीसगढ़ में 15 सालों से बीजेपी की रमन सरकार थी। जहां बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करना एक तरह से अघोषित प्रतिबंध लगा दिया गया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आने के बाद हालात बदले नहीं हैं। और रिपोर्टिंग पर उसी तरह से प्रतिबंध जारी है। बीजापुर की महिला पत्रकार पुष्पा रोकड़ अपना अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि ग्रामीणों के बुलावे पर हम पहुंचे। निर्धारित समय पर मोटरसाइकिल से बासागुड़ा रवाना हुए। इस दौरान आवापल्ली के बाद सीआरपीएफ के कैम्पों पर जवानों ने पत्रकारों को रोक कर नाम पता और कहां जा रहे होड़ वापस कब आओगे ? पूछकर गाड़ी नम्बर सहित जानकारी अपने रजिस्टर में दर्ज की। उसके बाद जाने दिया। फिर बासागुड़ा थाने की बारी आयी। यहां भी उसी कवायद से गुजरना पड़ा। इन बीच एक नई बात सामने आई कि अब सुरक्षा बल पत्रकारों को सीरियल नंबर लिखा एक टोकन देते हैं और वापसी में वही टोकन नम्बर दिखाना पड़ता है।